



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 03 मार्च, 2025

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जफरुद्दीन पुत्र इस्माइल निवासी ग्राम सिरसा थाना छर्ना जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष- 2015 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 03.01.2015 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 06/2015 धारा 363/366/376 भादवि व 04 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.03.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 03.03.2025 को न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह(मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जफरुद्दीन को 10 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा, श्री वरुण कौशिक व श्री आशुतोष सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।